

कार्यालय जिलाधिकारी कन्नौज
(खनन अनुभाग)

ई-निविदा आमंत्रण हेतु सूचना

संख्या 120 / खनिज लिपिक / ई-टेण्डर-बालू / 2017 दिनांक 18 जून, 2017

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद कन्नौज में नदी तल में उपलब्ध निम्न विवरण के अनुसार बालू/मोरम के खनन क्षेत्रों को शासनादेश संख्या-715/86-2017-57(स)/2017 दिनांक-22.04.2017 में दिये गये निर्देशानुसार 6 माह की अल्प अवधि के लिये ई-टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से खनन अनुज्ञा पत्र पर स्वीकृत किये जाने के लिये निविदा आमंत्रित की गयी थी, किन्तु प्राप्त निविदा निरस्त होने के कारण निम्नांकित क्षेत्रों को उपलब्ध घोषित किया जाता है तथा दिनांक 23.6.2017 के सुबह 9.00 बजे से दिनांक 03.07.2017 के सायं 5.00 बजे तक क्षेत्रों के लिये पुनः ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। क्षेत्र का विवरण:-

क्र० सं०	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या/ खण्ड संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)	सीमायें				खनिज का नाम	खनन योग्य अनुमानित खनिज का भण्डार (घनमी० में)
					उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम		
1	कन्नौज	कटरी दुर्जनापुर	22ख, 42ख, 42ग, 43क	12.35	गाटा 22 व 43	ग्राम गदनपुर नरहा	गाटा सं०-43	गाटा सं०- 22	साधारण बालू	90,000
2	कन्नौज	कटरी गौरी	02/ खण्ड-1	12.35	जनपद हरदोई	गाटा सं०- 2	गाटा सं०-3	गाटा सं०-1	साधारण बालू	90,000
3	कन्नौज	कटरी गौरी	03/ खण्ड-2	37.06	जनपद हरदोई	गाटा सं०- 3	गाटा सं०-3	गाटा सं०-2	साधारण बालू	3,00,000
4	कन्नौज	कटरी जलेसर अलीपुर	02/ खण्ड-1	12.35	ग्राम कटरी रामपुर	गाटा सं०-3	गाटा सं०-1व3	ग्राम कटरी रामपुर	साधारण बालू	92,000
5	कन्नौज	कटरी जलेसर अलीपुर	03/ खण्ड-2	37.06	गाटा सं०-2	गाटा सं०-3	गाटा सं०-3	गाटा सं०-3	साधारण बालू	3,00,000
6	कन्नौज	सादिकपुर (अलियापुर)	14झ, 15, 16क, 116ड़	12.10	गाटा सं०-14, 16व 17	गाटा सं०-14क	गाटा सं० 113/3	गाटा सं० 14 व 14क	साधारण बालू	90,000
7	कन्नौज	दरियापुर पट्टी	527क	10.65	गाटा सं०-527	ग्राम सादिकपुर	गाटा सं०-527	गाटा सं०-526	साधारण बालू	70,000
8	कन्नौज	कटरी सददूपुर	01	12.10	जनपद हरदोई	गाटा सं०-1	गाटा सं०-1	ग्राम कटरी फराहरन	साधारण बालू	90,000
9	कन्नौज	बारामऊ कछोहा	06मि०	8.89	गाटा सं०-6	गाटा सं०-6	गाटा सं०-6	ग्राम जलेसर अलीपुर	साधारण बालू	72,000

2. खनन अनुज्ञा पत्र की अवधि 06 माह होगी जिसमें मानसून सत्र (दिनांक 01.07.2017 से 30.09.2017) में खनन नहीं किया जायेगा। बाधित अवधि के कारण 06 माह की अधिकतम अवधि में कोई विस्तार भी अनुमन्य नहीं होगा।
3. कोई व्यक्ति/फर्म/निकाय जो भारतीय हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई-निविदा संलग्न प्रारूप-2 पर प्रस्तुत कर सकता है जिसमें निम्नलिखित बातें होगी:-


4

- क. विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो।
- ख. विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक।
- ग. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता(स्थायी और वर्तमान) ई-मेल एवं मोबाईल नं०।
- घ. उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिये उसने निविदा प्रस्तुत की है, जिसमें निम्न हो-
उपखनिज का नाम -
तहसील का नाम-
खनन क्षेत्र का नाम/ग्राम-
गाटा संख्या/खण्ड संख्या/जोन संख्या-
क्षेत्रफल (एकड़ में)-
विज्ञप्ति में दी गई खनन योग्य भण्डार की मात्रा-
- ड. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता(स्थायी और वर्तमान) ई-मेल एवं मोबाईल नं० (पता के प्रमाण के रूप में निम्न में से कोई एक मान्य होगा-वोटर आई डी/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/बिजली बिल/बैंक पासबुक अथवा राशन कार्ड। फर्म/कम्पनी निकाय के लिये उनका पंजीकरण का विवरण)।
- च. खनिज के प्रति घन मी० के लिये दी जाने वाली दर, जो उस खनिज के लिये नियमावली-1963 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर से कम नहीं होगी।
- छ. खनन योग्य भण्डार की मात्रा (घनमीटर) को नियमावली 1963 की अनुसूची-1 में उपखनिज की प्रचलित रायल्टी दर से गुणा कर जो धनराशि आयेगी, उसका 75 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का बैंक ड्राफ्ट संबन्धित जिलाधिकारी के पक्ष में जहाँ वह खनन क्षेत्र स्थित है का अग्रिम के रूप में दी जायेगी। बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति ई-निविदा खेले जाने के पूर्व निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करानी होगी। प्रत्येक क्षेत्र की ई-निविदा हेतु पृथक-पृथक बैंक ड्राफ्ट जमा किया जाना अनिवार्य होगा। जिस निविदाकर्ता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नहीं होगा उसकी ई-निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।
- ज. खनन देय बकाया न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र।
- झ. उस जिले के जिलाधिकारी, जहाँ वह स्थायी रूप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण पत्र।
- ट. पैन कार्ड एवं फोटो युक्त पहचान पत्र।
- 4 ई-निविदा आमंत्रण सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 कार्य दिवसों के अन्दर अर्थात् दिनांक 23.6.2017 के सुबह 9.00 बजे से दिनांक 03.07.2017 के सायं 5.00 बजे तक ई-टेंडर पोर्टल <http://etender.up.nic.in> पर निविदाकार के द्वारा अपनी ई-निविदा अपलोड की जायेगी।
- 5 यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि० लखनऊ को प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में ई-टेंडरिंग लागू किये जाने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगी-
- (क) ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टिफाइंग एजेन्सी से डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।
- (ख) ई-टेंडरिंग पोर्टल पर विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा अपनी कम्पनी/फर्म का रजिस्ट्रेशन यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से कराया जायेगा।
- (ग) विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स ई-टेंडर पोर्टल पर प्रशिक्षण यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
- 6 निविदाकार द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन ई-टेंडरिंग पोर्टल पर करा लेने तथा डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने के उपरान्त अपनी निविदा ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निम्नांकित कार्यवाही की जानी होगी-
- i सर्वप्रथम निविदाकार द्वारा ई-टेंडर पोर्टल पर लॉगिंग आईडी (Login ID) एवं पासवर्ड (Password) के द्वारा ई-टेंडर पोर्टल में प्रवेश किया जायेगा।
- ii तत्पश्चात निविदाकार द्वारा डिजिटल सिग्नेचर का सत्यापन (Verification) ई-टेंडर पोर्टल पर किया जाना होगा।

- iii निविदाकार द्वारा सर्च एक्टिव टेण्डर (Search Active Tender) पर क्लिक कर अपनी रूचि की निविदा का चयन कर उक्त निविदा पर प्रतिभाग (Participate) करने हेतु क्लिक करना होगा।
- iv निविदाकार द्वारा कम्प्यूटर स्क्रीन पर ही निविदा संबंधित सभी जानकारी को सीधे देखा जा सकता है अथवा उक्त निविदा को डाउनलोड कर उसके प्रिन्ट आउट द्वारा विवरण को पढ़ा जा सकता है।
- v निविदाकार द्वारा निविदा के समुचित अध्ययन किये जाने के उपरान्त अपनी निविदा का ई-टेण्डर पर अपलोड करने के पूर्व प्रस्तर-3 में दिये गये विवरण के अनुसार विभिन्न अभिलेखों, दस्तावेजों की स्कैण्ड कापी कर पी0डी0एफ0 फाइल बनायी जानी होगी।
- vi ई-टेण्डर डाक्यूमेंट्स की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी वांछित दस्तावेजों की पी0डी0एफ0 फाइल तैयार हो जाने के पश्चात निविदाकार द्वारा "पे ऑफलाइन" (Pay Offline) विकल्प पर क्लिक करने पर एग्रीमेंट (Agreement) आईकन के कम्प्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने पर निविदाकार द्वारा आई एग्री-सबमिट (I Agree Submit) पर क्लिक करना होगा।
- vii तत्पश्चात निविदाकार द्वारा अग्रिम धनराशि से संबंधित कालम में बैंक ड्राफ्ट की धनराशि, बैंक ड्राफ्ट का नं0 बैंक का नाम इत्यादि विवरण भरना होगा। भुगतान के विवरण की प्रविष्टियों भरने के बाद उसको Save कर लिया जायेगा।
- viii निविदाकार द्वारा अपनी निविदा को अपलोड करने हेतु कम्प्यूटर क्लिक करना होगा जिससे कि अग्रिम धनराशि को टेण्डर के साथ जमा किये जाने से संबंधित कार्य पूर्ण माने जायेंगे।
- ix यदि निविदाकार को ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा सबमिट की गई वित्तीय बिड में कोई त्रुटि है अथवा उनके द्वारा पूर्व में जमा की गई निविदा/बिड्स में संशोधन करना वांछनीय है, तो माई बिड्स (My Bids) आईकन में क्लिक कर पुनः ई-निविदा पूर्व प्रक्रिया को अपनाते हुये रि-बिड सबमिशन (Rebid Submission) पर क्लिक कर पुनः सबमिट (Submit) कर सकते हैं। निविदाकार द्वारा यह कार्य टेण्डर जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि और समय से पूर्व किया जा सकता है। अन्तिम बार प्रस्तुत की गई निविदा (Last Submit Bid) ही ई-टेण्डर पोर्टल पर अनुमन्य होगी। पूर्व में प्रस्तुत की गई बिड्स अनुमन्य नहीं होगी।
- 7 विज्ञप्ति के अनुसार सात कार्य दिवसों में प्राप्त निविदाओं को अगले कार्य दिवस में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा खोला जायेगा।
- 8 बिन्दु संख्या-3 में उल्लिखित वांछित अभिलेखों तथा ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई-टेण्डर के साथ अपलोड किया जाना होगा। यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या-3में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई-निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई-निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों की मूल प्रति/प्रमाणित प्रति तथा ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व दिनांक 04.07.2017 के सायं 5.00 बजे के पूर्व जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, क्षेत्र का क्रमांक अंकित करना होगा।
- 9 क्षेत्र से निकासी की जाने वाली खनिज के प्रति घन मी0 के लिये दी जाने वाली सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन उस क्षेत्र के खनन अनुज्ञा पत्र के लिये किया जायेगा। सफल निविदा कर्ता का चयन होने के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर उसे जिलाधिकारी द्वारा खनन अनुज्ञा पत्र हेतु सहमति पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा। उच्चतम निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।
- 10 जिलाधिकारी को कोई कारण बताए बिना समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।
- 11 ई-टेण्डर साइट का उपयोग करने के लिए Pentium-IV अथवा उच्च विशिष्टियों युक्त कम्प्यूटर तथा ब्रॉड बैंड इन्टरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी। इसके लिए इन्टरनेट केंद्र की सेवायें ली जा सकती हैं।
- 12 जिला स्तर पर ई-टेण्डरिंग से सम्बन्धित टेण्डर्स अपलोड किये जाने, टेण्डर्स खोले जाने इत्यादि कार्यों हेतु जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (DIO-NIC) से सहायता ली जा सकती है तथा अन्य किसी जानकारी/स्पष्टीकरण/प्रशिक्षण हेतु यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 10, अशोक मार्ग, लखनऊ से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

(4)

- 13 खनन क्षेत्र अथवा अन्य किसी जानकारी के लिए सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।
- 14 क्षेत्र से निकासी की जाने वाली खनिज के प्रति घन मीटर के लिए दी जाने वाली सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन उस क्षेत्र के खनन अनुज्ञा पत्र के लिए किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता का चयन होने के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर उसे जिलाधिकारी द्वारा खनन अनुज्ञा पत्र हेतु सहमति पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा।
- 15 उच्चतम निविदा के निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य आवेदकों द्वारा प्रस्तुत बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।
- 16 सफल निविदाकार खनन अनुज्ञा-पत्र हेतु इस आशय का पत्र प्राप्त होने के उपरान्त वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक-14.09.2006 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। सक्षम अधिकारी के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय खनन योग्य आंकलित मात्रा हेतु माइनिंग प्लान/स्कीम बनाते हुये आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।
- 17 यदि पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में दी गयी खनिज निकासी की मात्रा क्षेत्र के लिये आंकलित खनन योग्य भण्डार से कम होती है, तब पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में अंकित खनिज निकासी की मात्रा तक ही अनुज्ञा पत्र अवधि के लिए क्षेत्र से खनिज की निकासी हेतु प्रभावी होगी। उस मात्रा के आधार पर ई-निविदा में दी गई दर को गुणा कर वास्तविक देय धनराशि निकाली जायेगी। अग्रिम के रूप में जमा 75 प्रतिशत की धनराशि को समायोजित करते हुये शेष धनराशि अनुज्ञा-पत्र निर्गत करने से पूर्व बैंक ड्राफ्ट/कोषागार चालान द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा।
- 18 पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं सम्पूर्ण देय धनराशि जमा करने के उपरान्त निर्धारित प्रपत्र-एम0एम0-10 पर खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जायेगा। तत्पश्चात ही खनन कार्य प्रारम्भ करेगा।
- 19 अनुज्ञा पत्र धारक पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही खनन सक्रियता सम्पादित करेगा।
- 20 मा0 न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होंगे।
- 21 नियमावली 1963 की अनुसूची-1 में उपखनिज (साधारण बालू) की वर्तमान में प्रचलित रायल्टी दर रू0 55.00 प्रति घनमीटर है।
- 22 निविदाकर्ता के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र से बालू खनन/परिवहन से यदि किसी तीसरे पक्ष को कोई क्षति पहुँचती है तो उसकी प्रतिपूर्ति हेतु अनुज्ञापति धारक उत्तरदायी होगा।
- 23 निर्धारित अवधि में प्राप्त निविदाओं को दिनांक 05.07.2017 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में गठित समिति के सदस्यों एवं निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में खोला जायेगा।


(जगदीश प्रसाद)
जिलाधिकारी
कन्नौज।

पत्र संख्या- /तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, खनिज भवन लखनऊ।
3. प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि0 अशोक मार्ग, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 पार्क रोड, लखनऊ।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, लखनऊ।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, कन्नौज को इस आशय से प्रेषित कि जनपद की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करते हुए ई-निविदा के संचालन में अपेक्षित सहयोग प्रदान करें।

(5)

8. जिला सूचना अधिकारी, कन्नौज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जनपद में दो मुख्य परिचालित दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराना सुनिश्चित करें।
9. नाजिर सदर, कन्नौज को इस निर्देश के साथ कि कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।
10. तहसीलदार, कन्नौज/छिबरामऊ/तिर्वा को व्यापक प्रचार-प्रसार कराने हेतु प्रेषित।

18/06/17
(जगदीश प्रसाद)
जिलाधिकारी
कन्नौज।